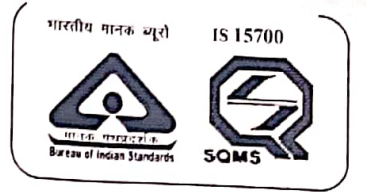




उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद  
कार्यालय वास्तुविद नियोजक  
वास्तुकला एवं नियोजन इकाई-पंचम  
नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल इन्दिरा नगर,  
लखनऊ-226016



पत्र सं०-1853 / APD/U-5 / Sec-23/MVYG/23  
सेवा में,

दिनांक-25/7/2022

अधिशारी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड-वागपत-01  
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद,  
आफिस काम्पलेक्स मण्डोला विहार  
दिल्ली-सहारनपुर मार्ग गाजियाबाद।

**विषय:-परिषद की मण्डोला विहार योजना गाजियाबाद के सेक्टर-23 में भूखण्डीय विकास के अन्तर्गत आवासीय भवनों के संशोधित ले-आउट प्लान की स्वीकृति के संबंध में।**

उपरोक्त विषयक कृपया अधीक्षण अभियन्ता-वागपत वृत्त के पत्र संख्या-115/एपीडी-12/12 दिनांक: 21.01.2021 एवं अपने पत्र संख्या-240/वाई-1/46 दिनांक: 22.03.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके क्रम में इस कार्यालय के पत्र संख्या-662/23 दिनांक: 01.04.2022 के माध्यम से आप द्वारा उपलब्ध कराये गये डिजिटल सर्वे के आधार पर संशोधित ले आउट पर भूखण्डों की मापों सहित फिजिविलिटी आख्या वृत्त, एवं जोन कार्यालय की संस्तुति सहित उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। उक्त अनुरोध के क्रम में आपके पत्र संख्या-285/वाई-1/55 दिनांक: 02.04.2022 एवं अधीक्षण अभियन्ता-वागपत वृत्त ने अपने पत्र संख्या-452/ए०पी०डी०-12/36 दिनांक: 04.04.2022 के माध्यम से मण्डोला विहार सेक्टर-23 की फिजिविलिटी आख्या संस्तुति सहित प्रेषित की गयी है।

उक्त के क्रम में ले-आउट प्लान को पुनरीक्षित कर आवास आयुक्त (म०) की अध्यक्षता में दिनांक: 01.07.2022 को गठित उच्च स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। "समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि मण्डोला विहार योजना, गाजियाबाद के सेक्टर-23 के ले आउट प्लान के सक्षम स्तर के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करने का निर्णय गया। साथ ही परिषद द्वारा नियोजित 21 से 25 सेक्टरों में हरित क्षेत्र का प्रतिशत मानक से कम न रखे जाने हेतु निर्देशित किया गया है। अतः सक्षम स्तर से ले-आउट अनुमोदन सम्बंधी अग्रिम कार्यवाही की जाये।"

उपरोक्त निर्णय के अनुपालन में संशोधित ले आउट प्लान आवास आयुक्त (म०) के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसे आवास आयुक्त (म०) द्वारा दिनांक: 20.07.2022 को अनुमोदित किया गया है।

अतः आपको अनुमोदित ले आउट प्लान की प्रति अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सलग्न प्रेषित है।

**सलग्नक:- उपरोक्तानुसार।**

भवदीय

(अमरिन्द देव)

वास्तुविद नियोजक

पत्र सं०-1853 / वा०नि०-5/ /

दिनांक 25/07/22

प्रतिलिपि: निम्न को उपरोक्तानुसार अनुमोदित ले आउट प्लान की एक-एक प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। (द्वारा मैसेज बोर्ड)

1. उप आवास आयुक्त मेरठ-जोन उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, आफिस काम्पलेक्स शास्त्री नगर मेरठ।
2. अधीक्षण अभियन्ता वागपत-वृत्त, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, कार्यालय परिसर, मण्डोला विहार, गाजियाबाद-201102
3. सम्पत्ति प्रबंधक, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, कार्यालय परिसर, मण्डोला विहार, गाजियाबाद-201102

वास्तुविद नियोजक

(अमरिन्द देव)



| DATE                                                                      | NORTH<br>      |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SHIVBARAN RAM<br>(Partner)                                                | <br>19-7-2022  |
| P.C.K. Maurya<br>S.A. A.I.A.<br>ASSTT. ARCH. PLANNER                      | <br>20-7-2022  |
| ARVIND DEO<br>(Senior, I.T.E.M. & S.D.) (Manager)                         | <br>19-7-2022  |
| SANJEEV KASHYAP<br>(Senior Architect Planner)<br>SENIOR ARCHITECT PLANNER | <br>19-7-2022. |
| CHIEF ARCHITECT PLANNER                                                   | <br>19-7-2022.  |
| ANY CHAUPAN<br>(Asstt. Arch. Planner)                                     | <br>19-7-2022.  |

[illegible]